6/12/2019

नाथूराम **बनाम** हरदीनराम वगै.

पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के आदेशार्थ पेश हुई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि, अपीलांट संख्या 2 गंगाविशन व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरदीनराम की मृत्यु हो चुकी है। किन्तु अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यकित होने तथा कम पढा लिखा होने की वजह से वह अपने अधिवक्ता को समय पर सूचना नहीं दे पाया तथा जानकारी होते ही आवेदन पेश कर दिया है तथा विलम्ब क्षमा करने के लिए आवेदन पेश कर दिया है। इसलिए विलम्ब क्षमा कर मृत पक्षकारान के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि, दिनांक 08–09–2017 को रेस्पोडेन्ट की मृत्यु की जानकारी देने के बावजूद भी अपीलांट ने पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पेश नहीं किया तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदन पेश करने के दो माह बाद अपीलांट द्वारा आवेदन पेश किया गया। इस प्रकार अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद भी शीध्र आवेदन पेश नहीं किया तथा न ही कोई मियाद के संबंध में कोई उचित कारण बताया है। इसलिए अपीलांट की अपील अबैट होने से खारिज की जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 08–09–17 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दे दी थी तथा अपीलार्थी संख्या 2 गंगाविशन की मृत्यु दिनांक 15–08–16 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरदीनराम की मृत्यु दिनांक 01–06–2015 को हो गई थी तथा अपीलांट ने देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त अपील अबैट हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होने के कारण नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
नागौर (राज.)

Scanned by CamScanner